

प्रेषक

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2

लखनऊ: 03 अप्रैल, 2020

विषय- कोविड-19 (कोरोना वायरस) के कारण घोषित लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु ई-पास ऑनलाइन जारी किये जाने के संबंध में स्पष्टीकरण।

महोदय

उपर्युक्त विषयक राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या-210/एक-11-2020, दिनांक 02 अप्रैल, 2020, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अंतर्गत दिनांक 02-4-2020 को सायं 6.00 बजे से पूरे प्रदेश में लॉकडाउन से छूट के लिए ई-पास जारी किये जाने की व्यवस्था दी गई है। शासनादेश में उक्त ई-पास की व्यवस्था एक संस्था हेतु आवेदक सहित अधिकतम मात्र 05 कार्मिकों के लिए ही है।

2- उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि वर्तमान में यह जानकारी में आया है कि विभिन्न प्रकार के उद्योगों को गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर चलाए जाने की अनुमति दी गई है। सभी उद्योगों के कर्मचारियों, मजदूरों इत्यादि को वेतन देने तथा ऐसी इकाइयों को चालू रखने में ई-पास की व्यवस्था से कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं।

3- अतः वर्तमान परिवेश में उद्योगों के संचालन में उत्पन्न हो रही कठिनाइयों के दृष्टिगत निम्नवत दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं-

(1) पूर्व में चल रहे उद्योगों को, जिनमें पूर्व व्यवस्था के अंतर्गत पास जारी किये गये हैं, उक्त व्यवस्था यथावत रहेगी।

(2) भविष्य में उद्योगों के संबंध में ई-पास के स्थान पर पूर्व में लागू व्यवस्था के अन्तर्गत उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र द्वारा वेतन व्यवस्था के संबंध में तथा जिलाधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी द्वारा नई इकाइयों को संचालित करने तथा इन इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में अनुमति-पत्र जारी किये जाएंगे।

4- यहाँ यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों दिनांक 23-3-2020, 25-3-2020, 27-3-2020, 29-3-2020 व 02-4-2020 के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणियों के उद्योगों को चालू रखा जाये तथा क्रमांक-(2) की व्यवस्था के अनुसार ही ई-पास व कार्मिकों की सीमित संख्या की व्यवस्था से मुक्त रखते हुये इन इकाइयों को सोशल डिस्टेंसिंग व स्वास्थ्य संबंधी निर्देशों के साथ चालू करने में यथासंभव सहायता प्रदान की जाए:-

(1) आवश्यक वस्तुओं से संबंधित उद्योग, जिसमें खाद्य पदार्थ ब्रेड, बिस्किट, आटा, दाल, खाद्य तेल, चावल, चीनी, पीने का पानी, दूध व दूध से संबंधित उत्पाद तथा उन उत्पादों के लिए प्रयोग की जाने वाली पैकिंग सामग्री की इकाइयाँ।

(2) मेडिकल उपकरण जिसमें मास्क, सेनेटाइजर, वेंटीलेटर, पीपीई किट, दवा, जिनमें आयुष भी सम्मिलित है तथा दवाओं में काम आने वाली सामग्रियों इण्टरमिडियरी तथा इनकी पैकिंग से संबंधित सामग्री की इकाइयाँ।

(3) राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त ऐसी इकाइयाँ, जिनमें अनवरत उत्पादन की प्रक्रिया हो। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मास्क, सेनेटाइजर, पीपीई किट एवं वेंटीलेटर की इकाइयों को शत-प्रतिशत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

क्षमता के अनुसार अनुमति-पत्र दिये जाएंगे। यहां यह भी प्रयास किया जाय कि यदि संभव हो तो इन उद्योगों की क्षमता वृद्धि कराई जाए।

- (4) कोयला व खनिज पदार्थ का उत्पादन, परिवहन एवं खनन प्रक्रियाओं से संबंधित गतिविधियां।
- (5) खाद, कीटनाशक, बीज उत्पादन तथा इनकी पैकिंग में प्रयुक्त होने वाली इकाइयां।
- 6- उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों के संचालन की अनुमति पूर्व में ही गृह मंत्रालय द्वारा पूर्व में ही जारी की जा चुकी है। उपर्युक्त इकाइयों के वाहन के संचालन को किसी प्रकार से न रोका जाए परंतु यह ध्यान रखा जाए कि उक्त मालवाहक वाहनों में कोई सवारी न हो।
- 7- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- (1) आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0, कानपुर।
- (2) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
- (3) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (4) समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- (5) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क उ0प्र0।
- (6) समस्त परिक्षेत्रीय अधिकारी, उद्योग/उपायुक्त उद्योग, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से

नवनीत सहगल
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।